किस्म मुकदमा गै.मु. रास्ता (खाल्सा) नम्बर 843/2023 वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/9/23	पत्रावली तहसीलदार, नीमकाथाना से गै.मु. रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेश हुयी। पत्रावली दर्ज की जाकर समस्त पक्षकारान को मय नोटिस रजिस्टर्ड समन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11/10/2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)	
	11/10/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/10/23 को पेश हो।	
	20/10/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलान उप.। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्वआदेशानुसार दिनांक 11/12/23 को पेश हो।	
11/12/23	पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांक प. 3 (2) राज–6 / 2003 / पार्ट / जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी	

Scanned with OKEN Scanner

मे तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2023/3165 दिनां
02.08.2023 द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्
का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु ग्राम **झालरा** पटवार मण्ड
दयाल की नांगल तहसील **नीमकाथाना** स्थित भूमि खसरा नम्
1330/551 किस्म बंजड़ कुल रकबा 5.94 है0 में गुजरने वाला रास्
नीमकाथाना मैन रोड से ढाणी रामकुंवार फरसवाल के खेत तक कु
रकबा 0.08 है0 का प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्
रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू होना एव
बारहमासी चलना बताया गया है ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, अनापत्ति
प्रमाण पत्र, रास्ते के फोटो ग्राफ सलग्न पेश कर प्रस्तावित प्रचलित
रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त
रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। पत्रावली
दर्ज रजिस्टर की गई।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं जॉच करने के पश्चात राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–राजस्व–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख मे जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एंव नक्शें में तरमीम की जावें। तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा तदानुसार राजस्च अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी